03-07-2024

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश कमांक ए-5(51) कार्मिक/ क-2 /88-I दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार **कनिष्ठ सहायक 51 एवं 18 चतुर्थ श्रेणी** कर्मचारी कुल 69 अभ्यार्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे। राज्य से बाहर की डिग्रियो/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपकम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02..01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।
12. प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेशन अंशदान की कटौती होगी ।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-II/ 2006 दिनांक 05.07.10 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानातरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तो की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.10 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगें ।

16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।

17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।

18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

19. कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक प.5(51) कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियन–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हे ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो ।

21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ–पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/चश्रेक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियॉ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति मूल/2020 दिनांक : 03-03-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय,राज0जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राज0 जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, ...संभाग को सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)................................ को संलग्न सूची (कनिष्ठ सहायक तथा सहायक कर्मचारी के कुल) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता हैं कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुवे रिक्त पदो के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें ।
7. श्री..को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)........ .... कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
10. रक्षित पत्रावली ।

उप निदेशक(प्रशासन),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :– कनिष्ठ सहायक

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य सास्थ/ए–4/3901/नियुक्ति मूल/2020 दिनांक 03-03-2020 के तहत **51 कनिष्ठ सहायक** पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :– (स्थिर पारिश्रमिक 14,600/–रूपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
1	सुशील कुमार बीए 25.06.1982	पुत्र	25.10.2019 कनिष्ठ सहायक	देवी लाल व.अ.	15.08.19	गंगानगर
2	मनोज कुमार एमए 25.07.1992	पुत्र	24.09.2019 कनिष्ठ सहायक	भंवरलाल अध्यापक	16.08.19	चूरू
3	नरेन्द्रसिंह एमए 26.06.1989	पुत्र	07.06.2019 कनिष्ठ सहायक	मानसिंह प्रबोधक पंराज	10.05.19	चूरू
4	मंजू बीए 03.07.1985	पत्नी	27.05.2019 कनिष्ठ सहायक	जयप्रकाश कुलदीप अध्यापक पंराज	19.03.19	चूरू
5	मनीष कुमार सी.सै. 01.07.2000	पुत्र	28.02.2019 कनिष्ठ सहायक	हनुमान प्रसाद शर्मा प्रधानाचार्य	22.06.12	झुंझुनूं
6	रेखा बीए 01.09.1977	पत्नी	14.11.2019 कनिष्ठ सहायक	सुनील दत्त शाशि	09.09.19	झुंझुनूं
7	मुकेश कुमार बल्डवाल सी.सै. 26.11.1994	पुत्र	09.12.2019 कनिष्ठ सहायक	जगदीश प्रसाद चश्रेक	13.11.19	सीकर
8	राहुल कुमार वर्मा सी.सै. 12.07.1991	पुत्र	13.07.2018 कनिष्ठ सहायक	ओमप्रकाश प्रबोधक पंराज	05.06.18	सीकर
9	सुलतानसिंह ढेबाणा बीए 02.11.1993	पुत्र	31.05.2019 कनिष्ठ सहायक	लालचन्द व.अ. प्राशि	29.04.19	सीकर
10	दिनेश वर्मा सी.सै. 24.06.1994	पुत्र	31.03.2018 कनिष्ठ सहायक	कैलाशचन्द चश्रेक	12.02.18	जयपुर
11	प्रवीण सी.सै. 20.01.1995	पुत्र	12.06.2017 कनिष्ठ सहायक	राजेन्द्र सिंह कानि0 क–2	12.06.17	जयपुर
12	सीताराम चौधरी सी.सै. 03.11.2001	पुत्र	02.12.2019 कनिष्ठ सहायक	श्योजीराम जाट प्रबोधक पंराज	23.09.19	जयपुर
13	सीताराम टेलर बीए 31.03.1998	पुत्र	29.07.2019 कनिष्ठ सहायक	शंकर लाल टेलर चश्रेक प्राशि	19.06.19	जयपुर
14	मनीष कुमार सी.सै. 15.07.1990	पुत्र	29.06.2019 कनिष्ठ सहायक	धर्मपालसिंह शाशि	19.04.19	अलवर
15	सौरभ स्वामी बीए 17.11.1999	पुत्र	11.09.2019 कनिष्ठ सहायक	मनोज स्वामी अध्यापक पंराज	15.08.19	अलवर
16	कृष्ण कुमार सी.सै. 22.08.1994	पुत्र	19.11.2018 कनिष्ठ सहायक	रामभरोस यादव अध्यापक प्राशि	09.10.18	अलवर

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
17	सोनी नरूका बीए 01.02.1994	पत्नी	14.03.2018 कनिष्ठ सहायक	कल्याणसिंह चौहान अध्यापक पंराज	20.02.18	अलवर
18	सुरेन्द्र कुमार शर्मा बीए 18.06.1977	पुत्र	03.06.2019 कनिष्ठ सहायक	कैलाशचन्द शर्मा अध्यापक पंराज	18.01.10	अलवर
19	सजन बाई सिंघल एमए 15.10.1983	पत्नी	04.12.2019 कनिष्ठ सहायक	नीरज कुमार अग्रवाल अध्यापक	03.11.19	दौसा
20	राहुल माल सी.सै. 10.03.1997	पुत्र	26.08.2019 कनिष्ठ सहायक	अर्जुनसिंह माल अध्यापक	25.07.19	दौसा
21	शिवदयालसिंह गुर्जर सी.सै. 02.07.1994	पुत्र	14.11.2019 कनिष्ठ सहायक	मोहरपाल गुर्जर प्रबोधक पंराज	05.10.19	दौसा
22	अनिल भारद्वाज सी.सै. 18.03.1999	पुत्र	22.04.2019 कनिष्ठ सहायक	कन्हैया लाल शर्मा अध्यापक पंराज	11.03.19	दौसा
23	सचिन मीना सी.सै. 10.05.1997	पुत्र	01.08.2019 कनिष्ठ सहायक	रत्तीराम मीना अध्यापक पंराज	02.07.19	दौसा
24	भागीरथ मकवाना एमए 03.03.1984	पुत्र	12.07.2019 कनिष्ठ सहायक	नृसिंहराम अध्यापक	16.05.19	जोधपुर
25	शिवम शर्मा सी.सै. 06.03.1995	पुत्र	26.12.2018 कनिष्ठ सहायक	शोभा शर्मा व्याख्याता	03.10.18	जोधपुर
26	मुकेश कुमार सी.सै. 28.3.2001	पुत्र	18.10.2019 कनिष्ठ सहायक	छत्रसिंह अध्यापक	11.09.19	जैसलमेर
27	बालवेन्द्र सिंह सी.सै. 25.09.1998	पुत्र	28.06.2019 कनिष्ठ सहायक	सवाईसिंह भाटी व.अ. प्राशि	10.04.19	जैसलमेर
28	विनोद सागर बीए 12.12.1995	पुत्र	02.10.2019 कनिष्ठ सहायक	चम्पा सागर कनिष्ठ सहायक	23.08.19	पाली
29	नीरज रीण्डर सी.सै. 26.08.1993	पुत्र	07.06.2019 कनिष्ठ सहायक	रमेश कुमार रीण्डर व्याख्याता	09.04.19	पाली
30	दीपेन्द्र गुर्जर सी.सै. 29.05.2001	पुत्र	26.07.2018 कनिष्ठ सहायक	बालूराम गुर्जर अध्यापक प्राशि	23.05.18	पाली
31	प्रकाश चन्द गर्ग बीए 05.11.1989	पुत्र	20.08.2019 कनिष्ठ सहायक	नरेन्द्र कुमार अध्यापक	07.06.19	जालोर
32	रवि कुमार सी.सै. 17.04.1992	पुत्र	14.06.2019 कनिष्ठ सहायक	सुगनचंद व.लि.	22.04.19	अजमेर
33	सविता नोर्धरया सी.सै. 27.12.1996	पत्नी	26.04.2019 कनिष्ठ सहायक	सुशील कुमार चौरडिया अध्यापक पंराज	07.02.19	नागौर
34	अभिषेक त्रिपाठी बीए 17.03.1989	पुत्र	14.05.2019 कनिष्ठ सहायक	पुष्पा त्रिपाठी प्रबोधक पंराज	07.04.19	भीलवाड़ा
35	जयराजसिंह चौहान सी.सै. 20.06.2000	पुत्र	20.08.2019 कनिष्ठ सहायक	मोहनसिंह चौहान अध्यापक पंराज	06.09.13	भीलवाड़ा
36	गुरूदत्त उपाध्याय बीए 09.05.1988	पुत्र	13.11.2019 कनिष्ठ सहायक	रामदत्त उपाध्याय अध्यापक	18.10.19	भरतपुर

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
37	लेखपालसिंह इण्टरमीडिएट 30.06.90	पुत्र	13.02.2017 कनिष्ठ सहायक	किशनसिंह कानि0 क–2	27.12.16	भरतपुर
38	प्रीती शर्मा इण्टरमीडिएट 10.07.94	पत्नी	02.01.2017 कनिष्ठ सहायक	लक्ष्मीकान्त शर्मा कानि0 क–2	02.12.16	भरतपुर
39	राजकुमारी मीना सी.सै. 25.06.1997	पत्नी	08.11.2016 कनिष्ठ सहायक	संतोष कुमार मीना अध्यापक पंराज	02.10.16	धौलपुर
40	महेन्द्र कुमार सैनी बीए 08.07.1992	पुत्र	08.08.2019 कनिष्ठ सहायक	कैलाश चंद सैनी चश्रेक	27.05.19	सवाई माधोपुर
41	उदयभान मीना सी.सै. 30.11.1998	पुत्र	11.01.2019 कनिष्ठ सहायक	जगदीश प्रसाद मीना अध्यापक पंराज	09.12.18	करौली
42	सोनू कुमार मीना सी.सै. 08.07.2000	पुत्र	10.06.2018 कनिष्ठ सहायक	बृजलाल मीना अध्यापक पंराज	16.03.16	करौली
43	नरेश मीना सी.सै. 05.01.2000	पुत्र	03.06.2019 कनिष्ठ सहायक	बद्रीलाल मीना अध्यापक प्राशि	06.08.00	कोटा
44	लोकेश कुमार मीणा सी.सै. 15.12.1996	पुत्र	10.08.2015 कनिष्ठ सहायक	मदन लाल मीणा कानि0 क–2	10.01.01	बूंदी
45	मोहम्मद अरशद सी.सै. 18.05.1989	पुत्र	23.09.2019 कनिष्ठ सहायक	शकील अहमद अध्यापक	31.07.19	बारां
46	शक्तिसिंह चौहान सी.सै. 01.07.1995	पुत्र	31.10.2019 कनिष्ठ सहायक	रणजीतसिंह चौहान शाशि	25.09.19	उदयपुर
47	किशनसिंह सोलंकी सी.सै. 10.11.2000	पुत्र	06.03.2019 कनिष्ठ सहायक	मालसिंह चश्रेक	30.01.19	उदयपुर
48	मोक्षम सिवासिया सी.सै. 23.10.2000	पुत्र	12.01.2018 कनिष्ठ सहायक	ओमप्रकाश प्रबोधक पंराज	30.11.17	राजसमन्द
49	धनु कुमारी मनात सी.सै. 23.06.1982	पत्नी	09.10.2018 कनिष्ठ सहायक	बापूलाल डामोर अध्यापक	05.09.18	डूंगरपुर
50	भुपेन्द्र सिंह सी.सै. 01.11.1999	पुत्र	18.10.2019 कनिष्ठ सहायक	पृथ्वीसिंह राठौड़ व.अ.	18.09.19	बांसवाड़ा
51	राजेश डिण्डोर सी.सै. 15.01.1994	पुत्र	12.02.2018 कनिष्ठ सहायक	लक्ष्मणसिंह व.स.	21.12.17	बांसवाड़ा

नोट :– क्र.सं. 05, 18, 35, 42, 43 एवं 44 के प्रकरणो में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त हैं।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य सात्र/ए–4/3901/नियुक्ति मूल/2020 दिनांक 03-03-2020 के तहत 18 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :– (स्थिर पारिश्रमिक 12,400/–रूपयें मासिक)

क्र.स.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
1	सुमित्रा आठवी 16.07.1978	पत्नी	12.10.2019 चश्रेक	सत्यवीरसिंह शाशि	12.09.19	हनुमानगढ़
2	सरस्वती आठवी 10.07.1989	पत्नी	11.11.2019 चश्रेक	ओमप्रकाश सुथार अध्यापक पंराज	01.10.19	चूरू
3	मनोज कुमार सैनी आठवी 15.07 1982	पुत्र	26.07.2018 चश्रेक	कैलाश चंद सैनी अध्यापक पंराज	22.12.14	झुंझुनूं
4	गीता देवी साक्षर 01 01.1973	पत्नी	12.04.2019 चश्रेक	मांगीलाल मेहरा चश्रेक	24.01.19	जयपुर
5	भगता बाई यादव आठवी 05 01.1989	पत्नी	26.09.2019 चश्रेक	संजय कुमार यादव क.स.	14.08.19	अलवर
6	सनप्यारी देवी निरक्षर 12 08.1976	पत्नी	05.02.2018 चश्रेक	किशनचंद प्रबोधक पंराज	28.12.17	अलवर
7	ईश्वरी देवी साक्षर 10 07.1973	पत्नी	13.08.2019 चश्रेक	कैलाश बाबू सैन चश्रेक	06.07.19	पाली
8	रजिया बानू साक्षर 01.05.1971	पत्नी	02.05.2019 चश्रेक	सतार खॉं सोलंकी अध्यापक	23.03.19	पाली
9	पुष्पा देवी साक्षर 25 07.1982	पत्नी	25.01.2017 चश्रेक	ओगडदास प्रबोधक पंराज	30.12.16	पाली
10	मोहनी देवी आठवी 03.01.1981	पत्नी	29.06.2017 चश्रेक	मोहन लाल पूनिया प्रबोधक पंराज	06.06.17	जालोर
11	दिलीप कुमार सैकेण्डरी 05.01.1998	पुत्र	05.10.2017 चश्रेक	रमेश कुमार प्रबोधक पंराज	12.07.17	जालोर
12	अंशी देवी साक्षर 21.01.1979	पत्नी	04.11.2019 चश्रेक	रताराम मीणा अध्यापक	19.08.19	सिरोही
13	रूकमणी देवी पाचवी 05.07.1984	पत्नी	24.10.2018 चश्रेक	सुरेश भाट अध्यापक पराज	31.07.18	नागौर
14	महावीर गुर्जर सैकेण्डरी 16 01.1994	पुत्र	05.11.2018 चश्रेक	अमरलाल गुर्जर अध्यापक प्राशि	26.09.18	भीलवाडा
15	मगता साक्षर 01 01.1985	पत्नी	17.10.2019 चश्रेक	भीमराज फागणा व.स.	14.09.19	टोंक
16	राहुल चौहान सैकेण्डरी 06.10 2001	पुत्र	31.10.2018 चश्रेक	नवाबसिंह चौहान चश्रेक	04.09.18	भरतपुर
17	धीरज श्रोत्रिय नवी 22.12 2001	पुत्र	23.01.2019 चश्रेक	विनोद श्रोत्रिय प्रबोधक पंराज	29.12.18	उदयपुर
18	मदनलाल परमार चौथी 01.09 1987	पुत्र	03.07.2018 चश्रेक	कारीलाल परमार अध्यापक पंराज	09.04.18	डूंगरपुर

नोट :– क्र.सं. 03 के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त हैं।

(सौरभ स्वामी)
आई ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर